न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 70/2022 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
जगदीश भाई पुत्र ताराराम जाति दर्जी, निवासी मौखाबकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर हाल निवासी विश्वकर्मा सोसायटी, माई मंदिर रोड़ नरियाद – गुजरात		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. सरूपाराम पुत्र ताराराम 3. बाबूलाल पुत्र चेतनराम 4. जगदीश पुत्र चेतनराम 5. ओमाराम पुत्र चेतनराम 6. खेताराम पुत्र चेतनराम 7. राकेश पुत्र चेतनराम 8. भंवरीदेवी पत्नी चेतनराम जाति दर्जी, निवासी मौखाबकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 – बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 07.07.2023

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की पैतृक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा मौखाबकलां, तहसील शिव के खसरा नम्बर 100, 104, 177, 189 रकबा क्रमशः 13.5730, 4.8077, 0.6394, 0.2671 हैक्टेयर एवं मौजा रामदेवनगर तहसील शिव के खसरा नम्बर 482/402, 353 रकबा क्रमशः 4.4596, 0.6313 हैक्टेयर की अवस्थित है.। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता ताराराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के म्यूटेशन में वादी के बड़े भाई सरूपाराम द्वारा वादी जगदीशभाई का घरेलू बोलचाल का नाम जोगाराम पुत्र ताराराम दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम जगदीशभाई पुत्र ताराराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजात में उसका सही एवं वास्तविक नाम जगदीशभाई पुत्र ताराराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में जोगाराम पुत्र ताराराम के स्थान पर जगदीश भाई पुत्र ताराराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों की ताइद करते हुए वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड में वादी का नाम जोगाराम पुत्र ताराराम के स्थान पर जगदीश भाई पुत्र ताराराम किया जाना उचित बताते हुए सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार शिव द्वारा नाम दुरस्ती के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब प्रस्तुत कर जोगाराम पुत्र ताराराम व जगदीशभाई पुत्र ताराराम एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

या। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम जगदीशभाई पुत्र ताराराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा रकार्ड, पेनकार्ड, बैंक डायरी व अन्य दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम जोगाराम पुत्र ताराराम के स्थान पर जगदीश भाई पुत्र ताराराम होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेंकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार वादी का नाम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड में वादी का एक नाम जोगाराम पुत्र ताराराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, पैन कार्ड आदि में वादी का नाम जगदीशभाई पुत्र ताराराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम जोगाराम पुत्र ताराराम के स्थान पर जगदीश भाई पुत्र ताराराम किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी जोगाराम पुत्र ताराराम व जगदीशभाई पुत्र ताराराम एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम जोगाराम पुत्र ताराराम के स्थान पर जगदीश भाई पुत्र ताराराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मौखाबकला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 100, 104, 177, 189 रकबा क्रमशः 13.5730, 4.8077, 0.6394, 0.2671 हैक्टेयर एवं मौजा रामदेवनगर तहसील शिव के खसरा नम्बर 482/402, 353 रकबा क्रमशः 4.4596, 0.6313 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम जोगाराम पुत्र ताराराम के स्थान पर जगदीश भाई पुत्र ताराराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner